NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-06-2026

विषय सूची

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय

भारत का उदय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की माँग करता है

भारत–तुर्किये: संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा

जलवायु एवं ऊर्जा का दोहरा संकट: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का आह्वान

भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार: वृद्धि एवं क्षेत्रीय असंतुलन

संक्षिप्त समाचार

- थेवा (Thewa)कला
- सुश्रुत
- कैस्पियन सागर
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति नियमों में संशोधन
- भारती कार्यक्रम
- पद्म पुरस्कार

www.nextias.com

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय

सन्दर्भ

- विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि **भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज़ है और इसे नागरिकता का अंतिम अथवा निर्णायक प्रमाण नहीं** माना जाना चाहिए।

परिचय

- भारतीय पासपोर्ट, **विदेश मंत्रालय (MEA)** द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए धारक की पहचान एवं राष्ट्रीयता का प्रमाण** प्रदान करता है तथा विदेश में भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों से कांसुली सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **ई-पासपोर्ट (ePassport) कागज़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का एक संयुक्त स्वरूप** है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन **(RFID) चिप तथा एंटीना** अंतर्निहित होता है। इसमें पासपोर्ट धारक के व्यक्तिगत विवरण एवं बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत रहती है।
- इनका निर्माण **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)** द्वारा निर्धारित बायोमेट्रिक यात्रा दस्तावेज़ों के मानकों के अनुरूप किया जाता है।

नागरिकता

- संविधान के अनुसार नागरिकता **संघ सूची का विषय** है, अतः यह **संसद के विशिष्ट अधिकार** क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- **संविधान में 'नागरिक' शब्द की परिभाषा नहीं** दी गई है, किन्तु नागरिकता प्राप्त करने के **पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख भाग-2 (अनुच्छेद 5 से 11)** में किया गया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

- **नागरिकता अधिनियम, 1955** के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं:
- जन्म द्वारा नागरिकता।
- वंश के आधार पर नागरिकता।
- पंजीकरण द्वारा नागरिकता।
- देशीयकरण (Naturalization) द्वारा नागरिकता।
- क्षेत्र के भारत में विलय (भारत सरकार द्वारा) के आधार पर नागरिकता।
- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत **भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं** है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता एवं पासपोर्ट प्राप्त कर लिया हो, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट तत्काल समर्पित (Surrender) करना होगा।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति

- **त्याग (Renunciation)**: यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता भी रखता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषणा करके भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहता।
- **समाप्ति (Termination)**: यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अथवा जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **वंचित किया जाना (Deprivation)**: कुछ परिस्थितियों में भारत सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। हालाँकि, यह सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता।

इसके लिए निम्नलिखित आधार हैं:

- नागरिकता धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई हो।
- नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित की हो।
- युद्धकाल के दौरान नागरिक ने अवैध व्यापार किया हो या शत्रु के साथ अवैध सम्पर्क स्थापित किया हो।
- देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के पाँच वर्षों के भीतर संबंधित नागरिक को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दण्ड मिला हो।
- नागरिक लगातार 7 वर्षों तक सामान्य रूप से भारत के बाहर निवास करता रहा हो।

स्रोत : IE

भारत का उदय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की माँग करता है

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनिधिक बनाने की आवश्यकता ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

- **अप्रतिनिधिक सदस्यता**: जब वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब **51 सदस्य देशों में से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, अर्थात लगभग 22%।**
- **आज संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश** हैं, जबकि **सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य** हैं, जो कुल सदस्यता का 8% से भी कम है।
- **संघर्षों का समाधान करने में अक्षमता**: परिषद की वर्तमान संरचना अनेक महत्त्वपूर्ण संघर्षों का प्रभावी समाधान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पर्याप्त सक्षम नहीं है।
- **विश्व व्यवस्था में परिवर्तन**: वर्ष **1945 के बाद** वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इन नई वास्तविकताओं का स्थायी सदस्यता में भी प्रतिबिम्ब होना चाहिए।
- **वीटो शक्ति:** वर्तमान में केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसके उपयोग से **यूक्रेन और गाज़ा जैसे वैश्विक संकटों एवं संघर्षों पर सुरक्षा परिषद की कार्रवाई कई बार बाधित** हुई है।
- परिषद के शेष 10 सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **शक्ति का असंतुलन**: परिषद की वर्तमान संरचना उस समय के वैश्विक शक्ति-संतुलन को अत्यधिक महत्त्व देती है।
- **विश्व की केवल 5% जनसंख्या वाला यूरोप किसी भी वर्ष परिषद की 33% सीटों पर नियंत्रण** रखता है (इसमें एक अन्य यूरोपीय शक्ति रूस शामिल नहीं है)।
- **वैधता का प्रश्न: पाँच स्थायी सदस्यों,** विशेषकर उनकी **वीटो शक्ति** के कारण, असमान रूप से अधिक शक्ति का केंद्रीकरण परिषद की निष्पक्षता एवं वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

- यह संयुक्त राष्ट्र के **छह प्रमुख अंगों** में से एक है, जिसका **उद्देश्य** अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना है।
- इसकी **पहली बैठक 17 जनवरी 1946** को वेस्टमिंस्टर, लंदन में आयोजित हुई थी।
- **मुख्यालय**: न्यूयॉर्क नगर।
- **सदस्यता**: सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं।
- **5 स्थायी सदस्य (वीटो शक्ति सहित)**: चीन,फ्रांस,रूस,यूनाइटेड किंगडम,संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **10 अस्थायी सदस्य**

अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन

- प्रत्येक वर्ष महासभा 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन करती है।
- 10 अस्थायी सीटों का क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार है—
- **अफ्रीकी एवं एशियाई** देशों के लिए — **5 सीटें**
- **पूर्वी यूरोपीय** देशों के लिए — **1 सीट**
- **लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों** के लिए — **2 सीटें**
- **पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों** के लिए — **2 सीटें**
- सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार देश को **महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य देशों के दो-तिहाई बहुमत** का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- **चुनाव गुप्त मतदान** के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी **193 सदस्य देश मतदान करते** हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के **50 से अधिक सदस्य देश ऐसे** हैं जो **आज तक कभी** भी सुरक्षा परिषद के **सदस्य नहीं** बने हैं।
- भारत ने **अंतिम बार 2021–22 में** अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त किया था।

स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को सुदृढ़ करने वाले कारक

- **जनसांख्यिकीय महत्त्व**: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत विश्व की लगभग एक-छठी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- **आर्थिक शक्ति:** क्रय शक्ति समता (**PPP) के** आधार पर भारत विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा **वर्ष 2026 में इसकी GDP (PPP) लगभग 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** आँकी गई है।
- भारत **वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा बाज़ारों तथा विकासात्मक वित्त** को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- **सैन्य क्षमता:** भारत की सशस्त्र सेनाएँ विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल हैं तथा रक्षा व्यय के मामले में भी भारत अग्रणी देशों में है। **वर्ष 2026 में भारत का रक्षा बजट रिकॉर्ड 86 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
- भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास विश्वसनीय **परमाणु त्रि-आयामी प्रतिरोधक क्षमता (Nuclear Triad)** उपलब्ध है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में योगदान**: वर्ष **1948 से भारत संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना अभियानों में सर्वाधिक सैनिक योगदान** देने वाले देशों में रहा है, जबकि शान्तिरक्षकों की शहादत के मामले में भी भारत अग्रणी देशों में शामिल है।
- यह **बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** तथा संयुक्त राष्ट्र के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उसकी दृढ़ इच्छा को दर्शाता है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज़:** भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन, जी-20** की अध्यक्षता तथा ग्लोबल साउथ के लिए एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर प्रभावी नेतृत्व प्रदर्शित किया है।
- **समुद्री सुरक्षा:** हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका नौवहन की स्वतंत्रता तथा समुद्र के विधि पर **संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)** एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं, जैसे समुद्र के विधि हेतु **अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)**, के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत की दावेदारी के समक्ष चुनौतियाँ

- **संशोधन की जटिल प्रक्रिया**: सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के **दो-तिहाई बहुमत** के साथ-साथ सभी पाँच स्थायी सदस्यों की पुष्टि आवश्यक होती है। इससे संस्थागत सुधार अत्यन्त कठिन हो जाता है।
- **चीन का विरोध:** चीन भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के प्रति सतर्क रुख अपनाता रहा है तथा भारत की दावेदारी का स्पष्ट समर्थन करने से प्रायः बचता है।
- **कॉफी क्लब (Uniting for Consensus-UfC):** यह 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार के विरोध में गठित एक समूह है।
- इटली के नेतृत्व में यह समूह **जी-4 देशों (ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान)** की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का विरोध करता है।

निष्कर्ष

- सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान किए जाने से **एशिया तथा विश्व में स्थिरता को बल मिलेगा।**
- इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अधिक अनुरूप बनेगी, उसके निर्णयों की वैधता सुदृढ़ होगी तथा परिषद को स्वयं को अधिक प्रभावी एवं प्रतिनिधिक संस्था के रूप में पुनर्गठित करने का अवसर प्राप्त होगा।

स्रोत : IE

भारत–तुर्किये: संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में

सन्दर्भ

- **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान **पाकिस्तान के प्रति तुर्किये के समर्थन** के कारण भारत-तुर्किये संबंध निम्न स्तर पर पहुँच गए थे।
- एक वर्ष बाद **दोनों देश कूटनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने की दिशा** में आगे बढ़ रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- **कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन**: वर्ष 2019 में **अनुच्छेद 370** के निरसन के बाद से तुर्किये के राष्ट्रपति ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कश्मीर मुद्दा उठाया। तुर्किये ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन करते हुए कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वार्ता की वकालत की।
- **पहलगाम आतंकवादी हमले** के बाद तुर्किये ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए इसे **"अकारण आक्रामकता" (Unprovoked Aggression)** बताया।
- **पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग**: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा तुर्किये निर्मित ड्रोन के उपयोग की रिपोर्टों ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया।

कूटनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव:

भारत ने इसके उत्तर में निम्न कदम उठाए—

- साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ किया।
- एक तुर्की कंपनी के साथ एयर इंडिया के विमान रखरखाव अनुबंध को रद्द कर दिया।
- अनेक **शैक्षणिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) को स्थगित** किया तथा तुर्किये जाने वाले **भारतीय पर्यटकों की संख्या में 37% की कमी** दर्ज की गई।

साइप्रस का मुद्दा

- **पृष्ठभूमि**: साइप्रस **वर्ष 1960 तक ब्रिटिश उपनिवेश** था, जिसके बाद उसे **स्वतंत्रता** प्राप्त हुई।
- उसके संविधान को **ग्रीक साइप्रियट (बहुसंख्यक)** तथा **तुर्की साइप्रियट (अल्पसंख्यक)** समुदायों के बीच शक्ति-संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
- समय के साथ शासन व्यवस्था को लेकर दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा।
- ग्रीक साइप्रियट एनोसिस (Enosis) अर्थात ग्रीस के साथ विलय के पक्षधर थे, जबकि तुर्की साइप्रियट तकसीम (Taksim) अर्थात द्वीप के विभाजन की माँग कर रहे थे।
- **तख्तापलट (Coup):** ग्रीस समर्थित तख्तापलट के माध्यम से साइप्रस का ग्रीस में विलय कराने का प्रयास किया गया।
- इसके प्रत्युत्तर में तुर्किये ने **1960 की गारंटी संधि (Treaty of Guarantee)** के अंतर्गत अपने अधिकारों का हवाला देते हुए साइप्रस पर सैन्य हस्तक्षेप किया।
- **तुर्किये ने द्वीप के लगभग 37% उत्तरी भाग पर नियंत्रण** स्थापित कर लिया।
- **वर्ष 1974** से साइप्रस, तुर्किये समर्थित उत्तरी साइप्रस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइप्रस गणराज्य के बीच विभाजित है। यही विवाद **'साइप्रस प्रश्न'** के नाम से जाना जाता है।
- **वर्ष 1974** से साइप्रस वास्तविक रूप से दो भागों में विभाजित है—
- दक्षिण में साइप्रस गणराज्य, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है तथा जो **वर्ष 2004 से यूरोपीय** संघ का सदस्य है।
- उत्तर में **उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य (TRNC)**, जिसे **केवल तुर्किये ही मान्यता** देता है।

दोनों देशों के बीच हालिया सहभागिता

- **कूटनीतिक संवाद का पुनरारम्भ**: चार वर्ष के अंतराल के बाद अप्रैल 2026 में भारत और तुर्किये ने विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations) पुनः प्रारम्भ किया। इसमें व्यापार एवं निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
- **सुरक्षा सहयोग:** तुर्किये ने भगोड़े मादक पदार्थ तस्कर **सलीम डोला** को भारत प्रत्यर्पित करने में सहयोग किया। दोनों देश अन्य प्रत्यर्पण अनुरोधों पर भी सहयोग कर रहे हैं।
- **आर्थिक यथार्थ:** तुर्किये ने यह स्वीकार किया कि भारत उसका एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जिसके साथ **वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर** से अधिक है।

- भारत, तुर्किये से **मशीनरी, संगमरमर तथा कृषि उत्पादों का एक महत्त्वपूर्ण आयातक** है।
- तुर्की कंपनियाँ भारत के अवसंरचना एवं निर्माण क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं।
- पर्यटन एवं निवेश संबंध भी दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

तुर्किये के साथ पुनः जुड़ने में भारत की रुचि

- **सामरिक भौगोलिक स्थिति**: तुर्किये यूरोप, पश्चिम एशिया, कॉकसस तथा मध्य एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह भारत की संपर्क, व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा संबंधी रणनीतियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार:** दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत तुर्किये को रसायन, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, मशीनरी तथा औषधियों का निर्यात करता है।
- **व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा:** तुर्किये के साथ संबंध बनाए रखने से भारत को भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक लचीलापन प्राप्त होता है।
- **इस्लामी विश्व में प्रभाव:** तुर्किये के साथ रचनात्मक संबंध भारत को पश्चिम एशियाई एवं इस्लामी देशों के साथ अपने संबंध और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता करते हैं।
- **तुर्किये का आश्वासन:** तुर्किये ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य सहयोग पूर्व से चले आ रहे समझौतों का हिस्सा था, न कि कोई नई सहायता। साथ ही उसने यह भी कहा कि **भारत के साथ उसका कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं** है।

आगे की राह

- **उच्च-स्तरीय संवाद को संस्थागत स्वरूप देना**: विदेश कार्यालय परामर्श, मंत्रिस्तरीय यात्राओं तथा सामरिक संवाद को नियमित बनाया जाना चाहिए ताकि गलतफहमियाँ दूर हों और आपसी विश्वास बढ़े।
- **आर्थिक सहयोग का विस्तार**: दोनों देशों को व्यापार, निवेश, पर्यटन, अवसंरचना सहयोग तथा उद्योग-से-उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे आर्थिक संबंध राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित न हों।
- **जन-से-जन संपर्क को प्रोत्साहन**: शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

निष्कर्ष

- भारत–तुर्किये के बीच वर्तमान निकटता इस व्यावहारिक समझ को दर्शाती है कि दोनों देशों के लिए **आर्थिक एवं भू-राजनीतिक हित, दीर्घकालिक दूरी बनाए रखने की लागत से अधिक महत्त्वपूर्ण** हैं।
- हालांकि, इस संबंध सुधार की स्थायित्व काफी हद तक कश्मीर एवं पाकिस्तान के प्रति तुर्किये के भविष्य के दृष्टिकोण तथा दोनों देशों की मतभेदों को सीमित रखते हुए सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

स्रोत: IE

जलवायु एवं ऊर्जा का दोहरा संकट: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का आह्वान

सन्दर्भ

- **संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरस** ने चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विश्व एक साथ **जलवायु संकट और ऊर्जा संकट** का सामना कर रहा है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा की ओर तीव्र संक्रमण तथा जलवायु अनुकूलन उपायों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

दोहरे संकट की स्थिति

- **जलवायु परिवर्तन के निर्णायक बिंदु (Climate Tipping Points):** विश्व ने अब तक के **11 सबसे गर्म वर्षों का अनुभव** किया है तथा आने वाले वर्षों में औसत वैश्विक वार्षिक तापमान के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित **1.5°C की सीमा से अधिक** होने की आशंका है।
- इसके परिणामस्वरूप **प्रवाल भित्ति**

पारिस्थितिकी तंत्र के ध्वस्त होने का खतरा बढ़ रहा है। **ग्रीनलैंड एवं पश्चिम अंटार्कटिका** की हिम चादरों का पिघलना तेज हो रहा है। इसके अलावा प्रमुख **महासागरीय परिसंचरण प्रणालियाँ कमजोर** पड़ रही हैं एवं **अमेज़न वर्षावन के कुछ भाग सवाना** जैसी परिस्थितियों की ओर परिवर्तित हो रहे हैं।

- **ऊर्जा संकट:** हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में हुए संघर्षों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर विकास मॉडल कितने संवेदनशील हैं।

विद्युत ग्रिड की बाधाएँ

- **जीवाश्म ईंधन कंपनियों का अप्रत्याशित लाभ:** भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण तेल एवं गैस कंपनियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।
- इससे स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहन मिलने के बजाय उसमें कमी आती है।
- **विद्युत ग्रिड की बाधाएँ:** अनेक देशों में विद्युत संचरण एवं वितरण अवसंरचना पर्याप्त विकसित नहीं है।
- वर्तमान विद्युत ग्रिड नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्रभावी रूप से समाहित नहीं कर पाते, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विलंब होता है।
- ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की कमी भी नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग में बाधा बनती है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्र:** डेटा केंद्रों के संचालन के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एवं जल की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा संकट तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है।
- **अपर्याप्त जलवायु वित्त:** विकासशील देशों के पास **स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं** में निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
- **वर्तमान जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धताएँ** इस चुनौती के स्तर की तुलना में अभी भी अपर्याप्त हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **लागत में कमी:** पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बैटरी भंडारण की लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे ये जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक किफायती एवं प्रतिस्पर्धी बन गए हैं।
- **आर्थिक लाभ:** नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता कम करती है।
- साथ ही यह विनिर्माण, स्थापना एवं रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है।
- **पर्यावरणीय एवं सामरिक लाभ:** तेल एवं गैस पर निर्भरता देशों को भू-राजनीतिक तनावों एवं आपूर्ति व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक स्थिर एवं सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है।

मीथेन उत्सर्जन में कमी हेतु वैश्विक आह्वान

- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मीथेन पर वैश्विक कार्यवाही का आह्वान** प्रारम्भ किया है, जिसका लक्ष्य अपशिष्ट, कृषि तथा जीवाश्म ईंधन परिचालनों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करना है।
- **मीथेन एक हरितगृह गैस के रूप में:** मीथेन एक अत्यधिक प्रभावशाली हरितगृह गैस है, जिसका अल्पकालिक तापवर्धक प्रभाव बहुत अधिक होता है। 20 वर्षों की अवधि में यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने में सक्षम है।
- औद्योगिक क्रांति-पूर्व काल से अब तक हुए वैश्विक तापवृद्धि के लगभग 30% के लिए मीथेन उत्तरदायी है।

जलवायु एवं ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत के प्रयास

- **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM):** वर्ष **2010** में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रिड से जुड़े एवं ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों सहित सौर ऊर्जा क्षमता का व्यापक विस्तार करना है।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF)**: स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा हरितगृह गैस उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं के समर्थन हेतु स्थापित किया गया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO)**: इसके अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों एवं बड़े उपभोक्ताओं को अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का एक निश्चित भाग नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन:

- बड़े पैमाने की सौर एवं हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)।
- सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- रूफटॉप सौर एवं ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के लिए सब्सिडी।
- हरित विद्युत व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs)।

अवसंरचना विकास:

- नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर ग्रिड एकीकरण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर।
- कृषि पम्पों के सौरकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना।
- विद्युत वितरण कंपनियों को सुदृढ़ बनाने हेतु पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)।
- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: वर्ष 2024** में प्रारम्भ की गई यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है, जिसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
- भारत ने **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net Zero)** उत्सर्जन प्राप्त करने तथा अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है।

आगे की राह

- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव** ने मीथेन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सरकारों एवं उद्योगों के लिए **तीन प्रमुख कदम सुझाए** हैं—
- प्रत्येक रिसाव का पता लगाकर उसे शीघ्र ठीक किया जाए तथा **नियमित फ्लेयरिंग (Flaring) एवं कोल्ड वेंटिंग** (Cold Venting) को समाप्त किया जाए।
- उत्सर्जन को मापने योग्य, प्रतिवेदनीय तथा सत्यापन योग्य बनाया जाए।
- विज्ञान-आधारित वैश्विक मीथेन मानक अपनाया जाए तथा **लगभग शून्य-मीथेन ऊर्जा (Near-Zero Methane Energy)** के लिए बाज़ार विकसित किया जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** के अनुसार, वर्तमान उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके तेल एवं गैस क्षेत्र से होने वाले लगभग **70% मीथेन उत्सर्जन को समाप्त** किया जा सकता है, और इसका अधिकांश भाग बहुत कम अथवा बिना किसी अतिरिक्त शुद्ध लागत के संभव है।

स्रोत: DTE, UN, PIB

भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार: वृद्धि एवं क्षेत्रीय असंतुलन

सन्दर्भ

- **क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स (CCF)** के हालिया विश्लेषण तथा **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने में उल्लेखनीय क्षेत्रीय असमानताएँ मौजूद हैं।

भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थिति

- भारत की कुल रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता **25.7 गीगावाट (GW) तक** पहुँच गई है। **वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1) में ही 2.7 गीगावाट** क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में **125% की वार्षिक वृद्धि** को दर्शाती है।
- **गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता**, देश के शेष सभी राज्यों की संयुक्त क्षमता से

भी अधिक हो गई है, जबकि **पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में** रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

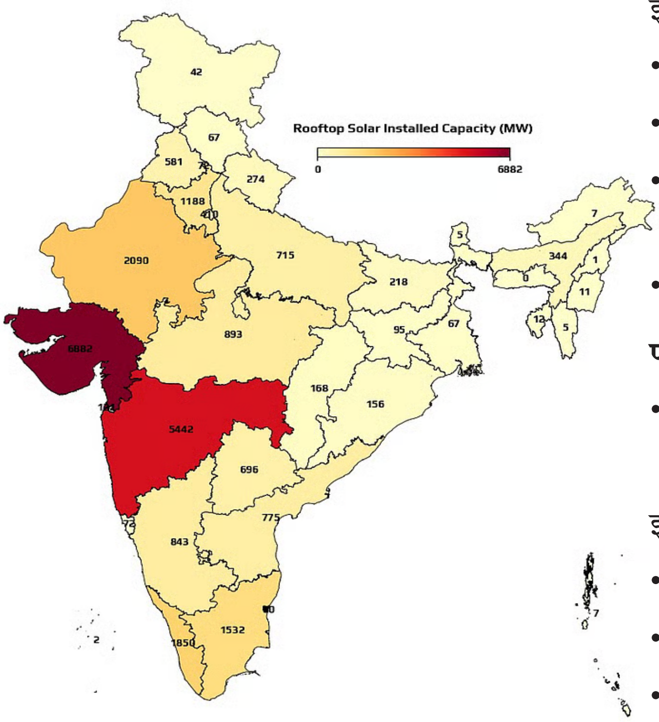

रूफटॉप सौर ऊर्जा के तीव्र विस्तार के कारण

- **पीएम सूर्य घर:** मुफ्त बिजली योजना (2024): इस योजना का **उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना** तथा आवासीय रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए **₹78,000 तक की सब्सिडी** प्रदान करना है।
- इसका **उद्देश्य** विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा परिवारों के बिजली व्यय को कम करना है।
- **वर्ष 2026** की प्रारम्भिक अवधि में रूफटॉप सौर क्षमता में हुई नई वृद्धि का **लगभग 82%** योगदान आवासीय उपभोक्ताओं का रहा।
- **अग्रणी राज्यों में सुदृढ़ पारिस्थितिकी** तंत्र: रूफटॉप सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्यों ने आवश्यक अवसंरचना विकसित की है, जहाँ ऋण की आसान उपलब्धता, दक्ष **विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) तथा नेट-मीटरिंग** की शीघ्र स्वीकृति जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

रूफटॉप सौर ऊर्जा का क्षेत्रीय वितरण

पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत का नेतृत्व

- भारत के शीर्ष 10 राज्यों में देश की लगभग 86% रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित है।

इसके प्रमुख कारण हैं—

- समयबद्ध सरकारी नीतियाँ।
- सुविकसित सौर ऊर्जा बाज़ार।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMs)।
- विक्रेताओं एवं वित्तीय संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता।

पूर्वी भारत

- पर्याप्त धूप उपलब्ध होने के बावजूद पूर्वी राज्यों में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार अपेक्षाकृत धीमा है।

इसके प्रमुख कारण हैं—

- वित्तीय संकट से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियाँ।
- स्थापना करने वाली एजेंसियों (Installers) की कमी।
- ऋण सुविधाओं तक सीमित पहुँच।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता का अभाव।
- नेट-मीटरिंग अनुमोदन में विलंब।

उत्तर-पूर्वी भारत

- केंद्र सरकार के बढ़ते समर्थन के बावजूद इस क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना अभी भी सीमित है।

इसके प्रमुख कारण हैं—

- विक्रेताओं की कमी।
- विद्युत उपयोगिता संस्थाओं (Utilities) की सीमित क्षमता।
- अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब।
- वित्तीय विकल्पों का अभाव।
- जन-जागरूकता की कमी।

विस्तार में बाधा बनने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

संस्थागत चुनौतियाँ

- विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) की कमजोर वित्तीय स्थिति।

- नेट-मीटरिंग की स्वीकृति में विलंब।
- विभिन्न राज्य विभागों के बीच समन्वय का अभाव।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच।
- सब्सिडी के बाद भी प्रारम्भिक लागत का अधिक होना।

बाज़ार संबंधी चुनौतियाँ

- पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना एजेंसियों की अपर्याप्त उपलब्धता।
- बिक्री उपरांत सेवाओं (After-sales Services) के नेटवर्क का अभाव।

सामाजिक चुनौतियाँ

- सब्सिडी एवं लागत बचत के बारे में सीमित जानकारी।
- उपभोक्ताओं का कम विश्वास।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा: हालिया रुझान एवं भावी परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार—

- सौर ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
- कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर है।
- कार्यान्वयनाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं सहित भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।
- भारत ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पार कर लिया है तथा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

नीति आयोग के अनुसार—

- वर्तमान नीतिगत परिदृश्य में वर्ष 2050 तक सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 1,500 गीगावाट तक पहुँच सकती है।
- नेट ज़ीरो परिदृश्य में यही क्षमता लगभग 2,400 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है।
- अत: वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सौर ऊर्जा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ

- भारत का तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC 3.0) मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) को प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत भारत ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं—
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी।
- वर्ष 2035 तक 60% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना।

आगे की राह

- **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को सशक्त बनाना:** राज्य सरकारों को विद्युत वितरण तंत्र का आधुनिकीकरण करना चाहिए तथा वितरण कंपनियों को रूफटॉप सौर परियोजनाओं को अपनी परिसंपत्ति के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **स्थापना एजेंसियों का विस्तार:** निजी क्षेत्र की स्थापना एजेंसियों को पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे कम विकसित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय पहुँच में सुधार:** कम ब्याज दर वाले ऋण, उपयोग के अनुसार भुगतान (Pay-as-you-go) योजनाएँ तथा सूक्ष्म वित्त जैसी नई वित्तीय व्यवस्थाएँ विकसित की जानी चाहिए।
- **उपभोक्ता जागरूकता अभियान:** पंचायतों, नगर निगमों एवं विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- **स्थापना की समयबद्ध स्वीकृति:** एकल खिड़की प्रणाली तथा डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया जा सकता है।

स्रोत: DTE

संक्षिप्त समाचार

थेवा(Thewa)कला

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी हालिया स्लोवाकिया यात्रा के दौरान **स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को थेवा कला से निर्मित कफ़लिंक** भेंट किए।

थेवा कला :परिचय

- थेवा कला **राजस्थान के प्रतापगढ़** की भारत की सर्वाधिक विशिष्ट पारम्परिक हस्तकलाओं में से एक है।
- यह कला **लगभग 400 वर्ष पुरानी** है तथा इसकी **उत्पत्ति मुगल काल से** मानी जाती है।
- यह **रंगीन काँच पर की जाने वाली जटिल स्वर्ण नक्काशी** के लिए प्रसिद्ध है।
- इसमें **23 कैरेट सोने से अत्यंत बारीक आकृतियाँ बनाकर उन्हें बहुरंगी काँच की सतह पर** जड़ा जाता है।
- थेवा कला में **अत्यधिक सूक्ष्मता एवं धैर्य** की आवश्यकता होती है। **एक सेट तैयार करने में लगभग तीन दिन** का समय लगता है।
- समय के साथ यह कला भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गई है तथा इससे जुड़े शिल्पकारों के लिए आजीविका का महत्त्वपूर्ण स्रोत भी है।

स्रोत: DD

सुश्रुत

चर्चा में क्यों?

- **स्कॉटलैंड** स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग ने लगभग 2,600 वर्ष पूर्व हुए **प्राचीन भारतीय वैद्य सुश्रुत के सम्मान में उनकी प्रतिमा का अनावरण** किया है।

सुश्रुत का परिचय

- सुश्रुत प्राचीन भारत के **महान वैद्य एवं शल्य चिकित्सक** थे, जिन्हें **शल्य चिकित्सा का जनक** तथा **प्लास्टिक सर्जरी का जनक** माना जाता है।
- वे उन्नत **शल्य चिकित्सा तकनीकों, शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन तथा व्यवस्थित चिकित्सीय शिक्षा** के लिए प्रसिद्ध हैं।
- उन्होंने पश्चिमी विश्व में इन विधियों के प्रचलित होने से कई शताब्दियों पूर्व ही जटिल शल्य क्रियाएँ सम्पन्न की थीं।
- उनका चिकित्सीय ज्ञान **सुश्रुत संहिता** में संकलित है, जो चिकित्सा विज्ञान के सबसे प्राचीन एवं व्यापक ग्रंथों में से एक है।

सुश्रुत संहिता दो भागों में विभाजित है—

- **पूर्वतंत्र:** शल्य चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान, कायचिकित्सा, बाल चिकित्सा तथा विष विज्ञान।
- **उत्तरतंत्र:** नेत्र, कर्ण, नासिका एवं कण्ठ रोग, मनोचिकित्सा तथा वृद्धावस्था चिकित्सा।

प्रमुख योगदान

- **नाक पुनर्निर्माण (Rhinoplasty) के प्रवर्तक**: ललाट अथवा गाल की त्वचा का उपयोग करके नाक के पुनर्निर्माण की तकनीक (Pedicle Flap) विकसित की।
- **शल्य चिकित्सा के आठ प्रकार (अष्टविध शस्त्रकर्म):** काटकर निकालना(excision), चीरा लगाना(incision), खुरचना(scraping), वेधन(puncturing), जाँचना(probing), आहरण(extraction), विस्रावण(drainage) तथा टांके लगाना(suturing) सहित आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया।
- **जलन एवं आघात प्रबंधन**: जलने तथा अन्य ऊष्मीय चोटों, जैसे लू (Heat Stroke) एवं शीतदंश (Frostbite), का वर्गीकरण किया।
- **जीवनशैली संबंधी रोग**: मधुमेह, मोटापा एवं हृदय-वाहिका संबंधी रोगों से मिलती-जुलती अवस्थाओं का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य में जीवनशैली के महत्त्व पर बल दिया।

स्रोत: TH

NEXT IAS

कैस्पियन सागर

सन्दर्भ

- **1990 के दशक के मध्य से अब तक** कैस्पियन सागर का सतही **क्षेत्रफल लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर घट** चुका है, जो भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप सिसिली के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है।

कैस्पियन सागर: परिचय

- कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा **आंतरिक जल निकाय** (**Inland Water Body**) है, जो **यूरोप और एशिया के मध्य** स्थित है।
- इसकी सीमाएँ निम्नलिखित **पाँच** देशों से मिलती हैं यथा ;
- रूस,कज़ाख़स्तान,तुर्कमेनिस्तान,ईरान अज़रबैजान।
- **'सागर'** कहलाने के बावजूद यह तकनीकी रूप से **खारे जल की एक झील** है, जिसका किसी महासागर से प्राकृतिक निकास नहीं है।
- इसमें **गिरने वाली प्रमुख नदियाँ** हैं— वोल्गा नदी (सबसे बड़ी),यूराल नदी,कुरा नदी,तेरेक नदी।
- यह क्षेत्र **तेल एवं प्राकृतिक गैस** के विशाल भंडारों से समृद्ध है, जिसके कारण इसका अत्यधिक सामरिक एवं आर्थिक महत्त्व है।

क्या आप जानते हैं?

- वर्ष 2018 के **अकताउ(Aktau) अभिसमय (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea)** के बावजूद, कैस्पियन सागर के लिए अब भी जल बँटवारे, जलवैज्ञानिक निगरानी तथा पारिस्थितिक संरक्षण संबंधी कोई व्यापक एवं प्रभावी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: DTE

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल

सन्दर्भ

- आईआईटी मद्रास के **प्रोफेसर बी. रविन्द्रन** को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (**AI**) **पर स्थापित विश्व का पहला वैश्विक वैज्ञानिक निकाय** है, जो अग्रणी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर यह मूल्यांकन करता है कि AI किस प्रकार मानव जीवन को परिवर्तित कर रही है।

उद्देश्य

- वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करना।
- AI के उपयोग पर साक्ष्य-आधारित निष्कर्ष विकसित करना।
- AI के सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक प्रभावों पर स्वतंत्र एवं बहु-विषयक विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रयासों को समर्थन देना।

ट्रस्टेड एआई कॉमन्स (Trusted AI Commons)

- ट्रस्टेड एआई कॉमन्स भारत के **इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत** सुरक्षित एवं विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की व्यापक पहल का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।
- इसे उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास एवं उपयोग हेतु **डेटासेट, बेंचमार्क, परीक्षण उपकरण, प्रोटोकॉल तथा सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के एक मुक्त भंडार (Open Repository)** के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन की आवश्यकता

- विभिन्न देशों में अलग-अलग नियमों से उत्पन्न **नियामकीय विखंडन को रोकने** तथा AI के विकास एवं उपयोग हेतु समान वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमित **नियामकीय क्षमता के कारण विकासशील देश हाशिए पर न चले जाएँ** अथवा डिजिटल उपनिवेश न बन जाएँ।

- **साइबर हमलों, भ्रामक सूचना अभियानों तथा जैविक एवं रासायनिक हथियारों के विकास** में AI के दुरुपयोग से उत्पन्न सीमा-पार जोखिमों का समाधान करने के लिए।
- **डेटा सम्प्रभुता की रक्षा** करते हुए AI क्षमताओं का कुछ देशों एवं बड़ी कंपनियों तक सीमित केंद्रीकरण रोकने के लिए।
- AI के **लाभों तक समान पहुँच** सुनिश्चित करने तथा **समावेशी, उत्तरदायी एवं विश्वसनीय** कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।

स्रोत : IE, PIB, UN

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति नियमों में संशोधन

सन्दर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए संशोधित क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की है तथा ग्राहकों की देयता सीमित करने संबंधी अपने ढाँचे का विस्तार किया है।

आरबीआई के ढाँचे में संशोधन की आवश्यकता

- **वर्ष 2017** में लागू वर्तमान व्यवस्था मुख्यतः अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन, जैसे हैकिंग आदि, तक सीमित थी, जहाँ **ग्राहक ने स्वयं लेन-देन की अनुमति नहीं दी होती** थी।
- वर्तमान में डिजिटल धोखाधड़ी का बड़ा हिस्सा **सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम** से होता है, जिसमें ग्राहकों को धोखे, दबाव अथवा छल द्वारा स्वयं लेन-देन की स्वीकृति देने के लिए प्रेरित किया जाता है। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी उभरती हुई धोखाधड़ी से निपटना है।

आरबीआई के संशोधित डिजिटल धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति नियम

- आरबीआई (RBI) ने धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें अब निम्नलिखित भी शामिल हैं— धोखाधड़ी से प्राप्त ग्राहक पहचान विवरण (Credentials) का उपयोग करके किए गए लेन-देन,दबाव या जबरदस्ती में स्वीकृत लेन-देन,बैंक की लापरवाही अथवा तृतीय पक्ष की सुरक्षा चूक के कारण हुए अनधिकृत लेन-देन।

इस व्यवस्था में अब निम्न प्रकार की उभरती डिजिटल धोखाधड़ी भी सम्मिलित हैं—

- **डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest)** घोटाले।
- ओटीपी एवं बैंकिंग विवरणों की धोखाधड़ीपूर्ण प्राप्ति।
- साइबर हमलों अथवा सुरक्षा उल्लंघनों के परिणामस्वरूप हुए अनधिकृत धन अंतरण।
- **क्षतिपूर्ति राशि:** यदि किसी वास्तविक (Bona Fide) पीड़ित को **धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन से ₹50,000 तक की हानि होती है, तो उसे शुद्ध हानि का 85% अथवा ₹25,000 (जो भी कम हो)** जीवनकाल में एक बार प्रदान किया जाएगा।
- कुल क्षतिपूर्ति राशि का लगभग तीन-चौथाई भाग आरबीआई वहन करेगा, जबकि शेष राशि का आधा-आधा भाग ग्राहक के बैंक एवं लाभार्थी बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
- **क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ग्राहक को** पाँच कैलेंडर दिनों के भीतर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित बैंक को भी सूचना देनी होगी।
- यदि ग्राहक बैंक अथवा भुगतान मंच द्वारा जारी धोखाधड़ी संबंधी चेतावनियों की उपेक्षा करता है, तो वह क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।
- **बैंक में मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल पता अद्यतन न रखना भी लापरवाही** माना जा सकता है, जिसके कारण **क्षतिपूर्ति से वंचित** किया जा सकता है।
- ग्राहक द्वारा धोखाधड़ी की सूचना देने के बाद होने वाले किसी भी **अनधिकृत लेन-देन को पूर्णतः निरस्त** कर दिया जाएगा तथा ऐसी हानि के लिए **ग्राहक की शून्य देयता (Zero Liability)** होगी।

स्रोत: TH, IE

भारती (BHARATI) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने भारती कार्यक्रम के प्रथम चरण(cohort) का सफलतापूर्वक समापन किया।

भारती कार्यक्रम का परिचय

- भारती (भारत हब फ़ॉर एग्रीटेक, रिजिलिएन्स,एडवांसमेंट एंड इन्क्यूबेशन फ़ॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन), एपीडा(APEDA) का प्रमुख निर्यात संवर्धन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि-खाद्य नवप्रवर्तक उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाना है।

उद्देश्य:

- कृषि-खाद्य नवप्रवर्तक उद्यमों में **'निर्यात-प्रथम' (Export-first)** दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- **वर्ष 2030 तक एपीडा (APEDA)** के अधिसूचित उत्पादों के **50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य** को प्राप्त करने हेतु निर्यात-तैयार उद्यमों का विकास करना।
- उत्पाद विकास, गुणवत्ता मानकों, सतत विकास, लॉजिस्टिक्स तथा निर्यात अनुपालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।

कौन आवेदन कर सकता है?

- कृषि-खाद्य नवप्रवर्तक उद्यम।
- एपीडा (APEDA) में पंजीकृत निर्यातक।
- किसान उत्पादक कंपनियाँ।
- स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary) समाधान पर कार्यरत नवप्रवर्तक एवं शोधकर्ता।

नवप्रवर्तक उद्यमों की पात्रता

- यह संस्था(entity) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP अथवा साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत हो। पाँच वर्ष से अधिक पुरानी न हो।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक न हो।

प्रमुख विशेषताएँ

- 700 से अधिक आवेदनों में से **100 नवप्रवर्तक उद्यमों** का चयन किया गया।
- **120 घंटे का निर्यात संवर्धन कार्यक्रम**, जिसमें—निर्यात तैयारी,ब्रांड निर्माण,नियामकीय अनुपालन,व्यवसाय विस्तार,निवेशकों से संपर्क जैसे विषय शामिल हैं।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवप्रवर्तक उद्यमों को **गल्फूड(Gulfood) 2026, दुबई** में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में **17 से 75 वर्ष तक के उद्यमियों** की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है।

स्रोत: PIB

पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में **65 पद्म पुरस्कार** प्रदान किए।

अतिरिक्त जानकारी

- पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
- वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें—

5 पद्म विभूषण,13 पद्म भूषण,113 पद्म श्री शामिल हैं।

- इससे पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु **66 विशिष्ट व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार** प्रदान कर चुकी थीं।

पद्म पुरस्कार

- **वर्ष 1954** में स्थापित पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है—
- **पद्म विभूषण**: भारत का **दूसरा सर्वोच्च** नागरिक सम्मान।
- **पद्म भूषण**: भारत का **तीसरा सर्वोच्च** नागरिक सम्मान।
- **पद्म श्री:** भारत का **चौथा सर्वोच्च** नागरिक सम्मान।
- ये पुरस्कार कला, **समाज सेवा, लोक-कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा सहित** विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- यह सम्मान **जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग की परवाह किए बिना** सभी व्यक्तियों के लिए खुला है।
- इन्हें **मरणोपरांत भी** प्रदान किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

- नामांकन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं—राज्य सरकारें,केंद्रीय मंत्रालय,पूर्व पद्म पुरस्कार विजेता,आम नागरिक।
- इनका परीक्षण प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष गठित पद्म पुरस्कार समिति करती है। समिति की अनुशंसाएँ प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान** है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं सर्वोच्च स्तर की सेवा या उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है तथा यह जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

स्रोत: PIB

■■■■

NEXT IAS